न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–174/2015 (जीसीएमएस नं. 2015/00120)

01. भौंरीलाल पुत्र मांगीलाल पुत्र मंगला,
02. बिरदीचन्द पुत्र मांगीलाल पुत्र मंगला,
03. मु0 गुल्ली पत्नी श्री ग्यारसीलाल,
04. नानगराम पुत्र श्री ग्यारसीलाल,
05. छगन पुत्र ग्यारसीलाल उम्र 13 वर्ष,
06. मनोहर पुत्र ग्यारसीलाल उम्र 7 वर्ष नाबालिक बबिलायत संरक्षिका स्वयं माता गुल्ली पत्नी ग्यारसीलाल,
07. मु0 पारी बेवा श्री बालू उर्फ कालू,
08. प्रभू पुत्र श्री बालू उर्फ कालू,
09. रमेश पुत्र श्री बद्री,
10. कालू पुत्र बद्री,
11. छोटूराम पुत्र श्री बद्री, समस्त जाति मीना निवासीयान शिवदासपुरा चक नम्बर 1 तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री मनीष पारीक एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 15.03.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम शिवदासपुरा चक नम्बर 1 में स्थित है जो कि अपीलर्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि है तथा इस भूमि पर अपीलार्थीगण के बुजुर्ग जागीरी के जमाने से ही यानि कदमी से कब्जे काश्त में चले आ रहे है व राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे है, विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण के बुर्जुग का कदमी कब्जा काश्त होने के काराण रिकार्ड ऑफ राईटस व खसरा गिरदावरी में अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी बहैसियत कब्जे काश्तकार नाम दर्ज होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही कब्जा होने के कारण इस आराजीयात के अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी स्वतः ही कब्जे काश्तकार हो गये। उन्होने आगे कथन किया है कि सम्वत् 2015 के सेटलमेन्ट सर्वेक्षण के दौरान विवादग्रस्त भूमि सहवन से राजकीय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

भूमि दर्ज कर दी गई लेकिन यह भूमि कभी भी राजकीय भूमि, पाल–तलाई या चारागाह भूमि के प्रयोजनार्थ हेतु काम में नही आई बल्कि सदैव अपीलार्थीगण के पूर्वधिकारियों के जमाने से काश्त व कृषि भूमि के प्रयोजनार्थ हेतु काम में आती रही है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो राजस्व रिकार्ड में तब्दील की गई है, वह गैर कानूनी तौर पर की गई है जिसके लिऐ सेटलमेन्ट विभाग इस तरह की कार्यवाही करने के लिऐ न तो सक्षम था और ना ही है, राजस्थ रिकार्ड में सहवन से सरकारी भूमि होने के कारण तहसीलदार चाकसू द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की गई जिसके अन्तर्गत अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी व अपीलार्थीगण का ही सदेव से ही कब्जा काश्त माना गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एवं बिना सबूत, साक्ष्य, लिये ही जल्दबाजी में जो निर्णय सादिर किया है वह निर्णय न्यायोचित नही होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य होने पर भी अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर ने उक्त तथ्यों को इगनोर करते हुये जो निर्णय सादिर किया है वह निर्णय न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के बिना निस्तारण किये ही अपील के गुणावगुण पर निस्तारण करने में कानूनी भूल की है, इस दोष के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कानूनन टिकने योग्य नही अपितू निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय सादिर करते समय यह भी अंकित किया है कि अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। यह सत्य है कि व्यक्ति को अपने हक व अधिकार तय कराने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिये लेकिन इस प्रकरण में भिन्नता है क्योंकि अपीलार्थीगण व इनके पूर्वाधिकारी जागीरी के जमाने से ही आराजीयात पर कब्जे काश्त में चल आ रहे है व लगान देते आ रहे है, अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है व भूमिहीन कृषक है और यह भूमि इनके कब्जे काश्त में 50 वर्ष पूर्व से ही चली आ रही है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थीगण की अपील को मंजूर करते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 03.08.2009 में निरस्त करते हुये तहसीलदर चाकसू के रिमाण्ड करते हुये यह निर्देश दिये जाने चाहिये थे कि अपीलार्थीगण के हक में कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत नियम 20 के तहत नियमन किय जाने के आदेश दिये जाने चाहिये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर अपीलार्थीगण को समक्ष न्यायालय में दावा पेश कर अपने हक व अधिकार तय कराने के बारे में अंकित करते हुये अपील खारिज करने में कानूनी भूल किये जाने कारण व

कानूनी के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश मंसूख किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय द्वारा अपील संख्या 15/2013 पर पारित निर्णय दिनांक 21.05.2015 एवं तहसीलदार चाकसू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 68 पर पारित निर्णय दिनांक 03.08.2009 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हुये अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करें जिससे अपीलार्थीगण को उचित न्याय व राहत मिल सके एवं अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात से महरूम न हो सके एवं आराजीयात की उपज से अपीलार्थीगण अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है जिससे अपीलान्ट का किसी प्रकार का सम्बन्ध या सरोकार नही हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट या अपीलान्ट के पूर्वज के नाम दर्ज रिकार्ड रही हो। तथा जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जितनी भी सिवायचक व चारागाह भूमि स्थिति है उन सभी भूमियों को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिये गये है जिसकी पालना में तहसीलदार ने उक्त भूमि विवादग्रस्त का नामान्तरकरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य ही थी। उपरोक्त तथ्यो के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2015 में किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2015 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।